

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक, जैसे-मास्क, पीपीआई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटिलेटर्स आदि क्रय करने के लिये धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 698/पाँच-5, दिनांक 24 मार्च, 2020 में किये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक, जैसे-मास्क, पीपीआई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटिलेटर्स आदि क्रय करने के लिये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 50,00,00,000/- (रुपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से के सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (2) उपरोक्त धनराशि से वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु कतिपय लाजिस्टिक, जैसे-मास्क, पीपीआई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटिलेटर्स आदि क्रय करने हेतु वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दरों/गार्ड लाइन्स पर ही किया जाय।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2020 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा भोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-सो-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-6 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुमान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,
14/03/2020
(रिणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 154 (1) / एक-10-2020-33(221) / 2011 टीसी-2, तददिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय गोयल)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-25/03/2020

प्रेषण संख्या:- 154
आवंटन आदेश संख्या:- 157-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (द्वैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6073-प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन , लखनऊ-01-a	वर्तमान प्रगामी	500000000 500000000	500000000 500000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	500000000 500000000	500000000 500000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पचास करोड़

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन